Pending cases in various district courts of the country

3814. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether about two crore civil cases and one crore criminal cases are pending trial in various district courts all over the country; and

(b) what steps Government propose to take to ensure that the courts strictly abide by the provisions made in the Civil Procedure Code and in the Code of Criminal Procedure to expeditiously disposal of .cases?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) As on 30th June, 1997, about 0.70 crore civil and 1.30 crore criminal cases were pending in the District/Subordinate Courts.

(b) According to Article 233 to 235 of the Constitution, the Administration of Justice in the District/Subordinate Courts is within the purview of concerned State Government/High Court. As such, the functioning of the District/Subordinate Courts is monitored by the concerned High Court.

कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही

3815. **श्री नागमणि**: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शेयर धारकों के हितों की सक्षा किये जाने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों की जांच किये जाने के उपरांत कंपनियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गीई है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी तथा कार्यवाही की प्रकृति कैसी थी?

विधि, व्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम. थम्बी दुरई): (क) से (ख) कम्पनी कार्य विभाग में एक निवेशक संरक्षण सेल है जो मुख्यत: आवेदन राशि के वापिस न किए जाने, आबटन/हस्तांतरण के बाद शेयरों के प्राप्त न होने, लाभांश पत्रों आदि के प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतों का निपटान करता है। ऐसी सभी शिकायतों की पावती भेज दी जाती है तथा उन्हें पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत पद्धति के माध्यम से तत्काल निपटान के लिए संबंधित कम्पनी के साथ उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी रजिस्ट्रारों (आर ओ सीज) को भी ऐसी ही शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनके संबंध में समय-समय पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान विभाग ने कम्पनी रजिस्ट्रारों को अधिनियम, 1956 की धारा 73 (शेयरों व डिबेंचरों का आबंटन) और धारा 113 (प्रमाण पत्रों के जारी करने के लिए समय सीमा) के अन्तर्गत 64 चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध शास्तिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिये)

विवरण

1. मै. आन्ध्रा सीमेंट लिमिटेड
2. मै. एपीएल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड़
3. मै. एशियन कन्सोलीडेटिड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
4. मै. एबीएन ग्रेनाइट्स लिमिटेड
5. मै. अकार लेमीनेटर्स लिमिटेड
6. मै. बीनाका सिन्थेटिक्स रेजिन्स लिमिटेड
7. मै. भारत पाइप्सएन्ड पिटिंग्स लिमिटेड
8. मै. बाफना स्पीर्निंग मिल्स हैन्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड
9. मै. चेमोक्स केमिकल्स इनडस्ट्रीज लिमिटेड
10. मैं. दरेन्धा ओनर्सिज लिमिटेड
11. मै. इस्ट वेस्ट ट्रेवलस एंड ट्रेड लिंकस लिमिटेड
12. मै. इस्ववायर टी प्लान्टेसन्स एंड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
13. मै. गोल्डन कलर केम (इंडिया) लिमिटेड
14. मै. गुजरात रोडरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट लिमिटेड
15. मै. जेम्स आईड्रोन्स लिमिटेड
16. मै. गुजरात बोनन्जा आटो एंड स्टील रोलिंग लिमिटेड
17. मैं. जी.आर. मैगनेट्स सिमिटेड
18. मै. एच-लोन होजरी लिमिटेड
19. मै. इंडियन मैगनेटिक्स लिमिटेड
20. मै. जिलीकेम लेबोरेट्रीज (आई) लिमिटेड